



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र. एफ-15/शोध/मदसविवि/ 19048-51

दिनांक : 2/09/2021

शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

सूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/सूचना/मदसविवि/9395 दिनांक 20.04.2018 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधोपाधि हेतु शोध पात्रता परीक्षा RET 2017 उत्तीर्ण एवं RET 2017 में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों ने शोध पर्यवेक्षक आवंटन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक तक अपनी सहमति प्रस्तुत की। रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर शेष रहे अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.8(I) के प्रावधानानुसार विषयवार शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति द्वारा शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये गये। इस समिति के कार्यवृत्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् अभ्यर्थियों को निम्नानुसार शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाते हैं :-

क्रसं.	शो.प.आ.समिति का विषय एवं बैठक की दिनांक	अभ्यर्थी का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम एवं शोध केन्द्र जिसे अभ्यर्थी आवंटित किया गया	अन्य विवरण
1	चित्रकला 12.08.2021	MUKESH KUMAR MEENA	Dr. Geeta Sharma. RK Patni Govt. College, Kishangarh	

उक्त आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :

अभ्यर्थी को संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होकर आवंटित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में कोर्स वर्क ज्वाइन करने हेतु अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अधिष्ठाता (डीन पी.जी. स्टडीज) को प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ कोर्स वर्क शुल्क रु. 5000/- का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम हो, संलग्न होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट शोध अनुभाग में जमा करानी होगी।

1. संबंधित अभ्यर्थी को 'कोर्स वर्क' ज्वाइन करने की उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करने के लिए केवल 20 दिन का समय देय है जो इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से माना जायेगा। यदि 20 दिन की अवधि में अभ्यर्थी अपने शोध केन्द्र पर उक्त प्रक्रियानुसार ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा तथा शोध अनुभाग द्वारा उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से अन्य अभ्यर्थी का आवंटन कर दिया जायेगा।
2. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9 के प्रावधानों के अनुसार एक समसत्र 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा।
3. सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त शर्त स्वीकार हों तो वह इस अधिसूचना की दिनांक से 20 दिन की अवधि में उपर्युक्त वर्णित कार्य करना सुनिश्चित करें।

निदेशक, (शोध)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 20 दिन की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित शोध पर्यवेक्षक के पास कोर्स वर्क करने हेतु उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे नियमित प्रवेश देते हुये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट एवं कोर्स वर्क शुल्क का डी.डी. अविलम्ब निदेशक शोध को अग्रेषित कराकर अनुगृहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षकगण को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वाइन रिपोर्ट एवं प्राप्त शुल्क का डी.डी. अग्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हें शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. ✓ वेब एडमिनिस्ट्रेटर को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना को वेब साईट पर अपलोड कराए जिससे कि अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकें।
4. संबंधित अभ्यर्थीगण को डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
6. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।


उपकुलसचिव (शोध)
01/09/21